रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1215] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2012/आषाढ़ 11, 1934

No. 1215] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2012/ASADHA 11, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.आ. 1449(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण और मंत्रालय में भारत सरकार के आदेश सं. का.आ.2058(अ) तारीख 10 अगस्त, 2008 द्वारा अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि का अवसान हो गया है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अनिधियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

क	मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष
ख	प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन विभाग अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
ग	प्रधान सचिव, जहाजरानी विभाग अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
घ	प्रधान सचिव, (राजस्व) अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
ङ	सचिव, मत्स्य विभाग, अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य

च	सचिव, पर्यटन, अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
छ	डा. प्रणवेश सान्याल, आचार्य अमरिटस, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	सदस्य
ज	निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ओसन मैनेजमेंट (आईओएम) अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सदस्य
झ	अध्यक्ष, अंदमान और निकोबार पर्यावरण टीम, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
ञ	वन संरक्षक (विकास और उपयोगिता), नोडल अधिकारी(तटीय विनियमन जोन)	सदस्य सचिव ;

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अंदमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) अंदमान और निकोबार राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और तटीय विनियमन की दृष्टि से भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ख) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ग) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए पूर्वोक्त राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु उपपैरा (क) और उपपैरा (ख) के अधीन आने वाले मामलों पर स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यष्टि या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी ;

(घ) उप पैरा (क) और उप पैरा (ख) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(ङ) उप पैरा (क) और (ख) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ;

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों जो उसे, यथास्थिति, अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं से बरतेगा ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा ।

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या संरक्षण के उन्नयन के लिए परियोजनाओं का समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण, क्षरण या अपचय के लिए अधिक सहजभेद्य तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करेगा और और उसके लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन जोन योजनाएं तैयार करेगा ।

8. प्राधिकरण, पूर्वोक्त पैरा 4 और पैरा 5 के अधीन तैयार योजनाएं और उनमें परिवर्तनों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, अनुमोदित अंदमान और निकोबार तटीय प्रबंधन जोन योजना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ.20 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित सभी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन का सुनिश्चय करेगा ।

10. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण की बैठकों की गणपूर्ति प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी और गणपूर्ति के न होने की दशा में बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बुलाई जाएगी ।

12. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.20 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

13. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा ।

14. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

15. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा ।

16. इस प्रकार प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2012

S.O. 1449(E).— Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, S.O. number 2058 (E), dated the 10th August, 2008, the Central Government constituted the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And , whereas, the Central Government is of the view that such as Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :-

a	Chief Secretary, Andaman Nicobar Administration	Chairman;
b	Principal Secretary, Department of Environment and Forests Andaman and Nicobar Administration	Member;
c	Principal Secretary, Department of Shipping, Andaman and Nicobar Administration	Member;
d	Principal Secretary, (Revenue) Andaman Nicobar Administration –	Member;
e	Secretary Department of Fisheries Andaman and Nicobar Administration	Member;
f	Secretary, Tourism, Andaman Nicobar Administration	Member;
g	Dr. Pranabesh Sanyal, Prof. Emeritus, Jadavpur University, Kolkata	Member;
h	Director, Institute of Ocean Management (IOM) Anna University, Chennai	Member;
i	Head, Andaman Nicobar Environment Team, Port Blair	Member;
j	Conservator of Forests (Development and Utilization),Nodal Officer (Costal Regulation Zone)	Member Secretary;

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union territory of Andaman and Nicobar, namely:-

(a) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Andaman and Nicobar administration and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.20 (E) dated the 6th January, 2011;

(b) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(c) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (a) and (b) I only be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an Organization;

(d) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (a] and (b) ;

(e) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (a) and (b).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union territory of Andaman and Nicobar, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4 The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas;

5 Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population, protection etc;

6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same;

7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same;

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4 and 5 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andaman and Nicobar and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Govemment in the Ministry of Environment and Forests.

11 The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members of the Authority and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

12 The Authority shall prepare and submit Integrated Coastal Zone Management Plans of the coastal areas in the Union territory as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.20 (E) dated the 6th January, 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Central govemment in the Ministry of Environment and Forests;

13 To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union territory.

14 The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Govemment.

15 The Authority shall have its headquarters at Port Blair.

16 Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-5/2005-IA-III]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.